संख्या– 901/11–6–2012–एम(22)/11

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः ३० अगस्त, 2012

विषय : मनोरंजन/वाटर पार्क पर आमोद कर की दर में वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

मनोरंजन कर के महत्वपूर्ण साधन मनोरंजन/वाटर पार्क पर अधिसूचना संख्या–1672/11–क0नि0–6–2009–एम(92)/2009 दिनांक 04.09.2009 के अनुसार 25 प्रतिशत मनोरंजन कर की दर निर्धारित की गयी है। विगत वित्तीय वर्ष में **मनोरंजन/वाटर पार्क** के स्वामियों की मांग एवं राजस्व हित को देखते हुये गतवर्ष की भांति वर्ष 2012–13 में भी मनोरंजन/वाटर पार्क मद में एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में अर्थात् **01 वर्ष की अवधि हेतु** आमोद के वर्ग मनोरंजन/वाटर पार्क में एकमुश्त समाधान योजना को निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू की जाती है :–

(1) ऐसे मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी, जिनके द्वारा वर्ष 2011–12 में समाधान योजना को अंगीकृत किया था, वे वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु समाधान राशि में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष 30 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2012–13 हेतु एकमुश्त समाधान योजना का विकल्प जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प के प्रार्थना–पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक परीक्षणोपरान्त उसे स्वीकार करते हुए वार्षिक समाधान धनराशि का निर्धारण करेंगे तथा समाधान की तिथि से पूर्व जमा की गयी धनराशि को वार्षिक समाधान की धनराशि में से घटाकर एकमुश्त समाधान राशि अथवा मासिक किश्तें निर्धारित की जायेंगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिन मनोरंजन/वाटर पार्क केन्द्रों द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के माहों में कर जमा कर दिया गया है, उनके द्वारा समाधान योजना अपनाये जाने पर मनोरंजन पार्क/वाटर पार्क की समाधान योजना जारी होने की तिथि तक जो भी धनराशि राजकोष में मनोरंजन कर के रूप में जमा कर चुके हों, उसे उक्त वार्षिक सम्मत कर की धनराशि में से घटाने पर अवशेष धनराशि को आगामी माहों में समान रूप से विभाजित कर मासिक किश्त निर्धारित की जायेगी।

(3) निर्धारित की गई वार्षिक समाधान राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रवेश हेतु दर्शकों से वसूली जाने वाली

...2

धनराशि के सापेक्ष होंगी। यदि मनोरंजन/वाटर पार्क का स्वामी अतिरिक्त सुविधाओं/सेवाओं में बढ़ोत्तरी करके अथवा सामान्य रूप से दर्शकों से वसूल की जाने वाली धनराशि में बढ़ोत्तरी करता है, तो उस बढ़ोत्तरी तथा अवशेष अवधि के समानुपातिक वार्षिक समाधान धनराशि में बढ़ोत्तरी की जायेगी एवं तत्क्रम में देय एकमुश्त धनराशि अथवा मासिक किश्तों का निर्धारण अवशेष अवधि के लिए किया जायेगा।

(4) यह समाधान योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवधि हेतु पूर्वगामी प्रभाव से 01 अप्रैल 2012 से लागू होगी।

(5) इस समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि शासनादेश जारी होने के 90 दिन तक होगी।

(6) मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी पूरी धनराशि एकमुश्त अथवा नियत मासिक किश्तों में जमा कर सकता है। मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी द्वारा यदि मासिक किश्तों का विकल्प लिया जाता है, तो प्रत्येक माह की मासिक किश्त अग्रिम रूप में उस माह की 20 तारीख से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि के पश्चात् देय धनराशि पर नियमानुसार ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

(7) उक्त समाधान योजना स्वीकार करने वाले मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामियों को सामयिक विवरण प्रस्तुत करने, उनके रखरखाव से छूट मिलेगी एवं निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण/निरीक्षण से मुक्ति मिल सकेगी।

(8) इस समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी पर उ0प्र0 आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 के नियम 24(1) के प्राविधान लागू नहीं होगें ।

(9) मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी द्वारा यदि समाधान योजना का विकल्प लेने का प्रार्थना पत्र दिया है एवं उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है, तो स्वीकार की गयी समाधान योजना को वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) ऐसे मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी जिनके द्वारा उक्त समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है। उन मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी/संचालकों पर पूर्व से निर्धारित नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार करारोपण किया जायेगा।

(11) मनोरंजन पार्क/वाटर पार्क में समय–समय पर होने वाले अन्य कैजुअल कार्यक्रमों पर देय कर अलग से वसूल किया जायेगा।

3. अतः अनुरोध है कि समाधान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये मनोरंजन/वाटर पार्क सेवा पर कराधान के संबंध में उपर्युक्त निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना शासन एवं आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

...3

संख्या– 901 (1)11–6–12/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त समाधान योजना को लागू किये जाने हेतु एक 'स्टैण्डर्ड प्रोफार्मा' तैयार कराकर समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध करा दें एवं विभाग के जनपदीय अधिकारियों को गणना हेतु प्रशिक्षित करते हुये 'सेन्सटाइज' (सुग्राहीकृत) कर दें, ताकि समान रूप से समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ समस्त संबंधित को प्राप्त हो सके।
2. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एन0 प्रसाद)
विशेष सचिव।

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 3690/प्र0क0–03/परि0समाधान योजना/2012–13 लखनऊः दिनांक 31 अगस्त,2012

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि संलग्न शासनादेश के प्राविधानों का प्रदेश के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिला मजिस्ट्र,उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत प्रसारित योजना को अपनाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र तथा इस संबंध में निर्गत किये जाने वाले आदेश का स्टैण्डर्ड प्रोफार्मा संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने जनपद में उक्त शासनादेश के प्राविधानों का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुए शासन के निर्देशों का सम्यक अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अखिलेश सिंह)
उपायुक्त,
कृते आयुक्त।

प्रारूप–1

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

.... ।

विषयः **शासनादेश संख्या– 901/11–6–2012–एम(22)/11 दिनांक 30 अगस्त,12 के प्राविधानों के अन्तर्गत मनोरंजन/वाटर पार्क पर कराधान संबंधी एक मुश्त समाधान योजना हेतु प्रार्थना–पत्र।**

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए उपरोक्त शासनादेश द्वारा घोषित समाधान योजना अपनाने का इच्छुक है, जिस हेतु अपेक्षित एवं सुसंगत तथ्यों का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत कर रहा है:–

1– आवेदक/स्वामी का नाम व पता ....

2– मनोरंजन/वाटर पार्क का नाम व पता ....

3–वित्तीय वर्ष 2011–12 में मनोरंजन कर का मासिक देय एवं जमा धनराशि का माहवार विवरण निम्नवत् है:–

माह/वर्ष	मनोरंजन/वाटर पार्क में स्थापित आमोदों/राइड्स की संख्या	प्रति आमोद राइड से वसूल की गयी धनराशि (रू0)	देय मनोरंजन कर (रू0)	जमा मनोरंजन कर का विवरण			
				मनोरंजन कर (रू0)	ब्याज (रू0)	कुल योग (रू0)	चालान संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल,2011							
मई,2011							
जून,2011							
जुलाई,2011							
अगस्त,2011							
सितम्बर,2011							
अक्टूबर,2011							
नवम्बर,2011							
दिसम्बर,2011							
जनवरी,2012							
फरवरी,2012							
मार्च,2012							
योग							

4–प्रतिमाह देय औसत मनोरंजन कर {स्तम्भ(4) का योग/12}- रू0......................

5–प्रतिमाह देय औसत मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत {कमांक(4) की धनराशि x 30/100}-- रू0......................

6–वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए देय मासिक मनोरंजन कर {कमांक(4) की धनराशि + कमांक(5) की धनराशि}-- रू0......................

7–वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल देय मनोरंजन कर {कमांक(6) की धनराशि x 12}-- रू0......................

8–वर्ष 2011–12 में विभिन्न आमोदों/राइड्स के लिए मनोरंजन/वाटर पार्क में किसी उपभोक्ता से वसूल की गयी अधिकतम धनराशि प्रति गेम प्रति व्यक्ति– रू0..................

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम व पते सहित

मैं घोषणा करता हूँ कि:–

1. इस प्रार्थना–पत्र में मेरे द्वारा घोषित समस्त सूचनायें सत्य हैं तथा मेरे द्वारा किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।
2. भविष्य में जब मैं अपने मनोरंन/वाटर पार्क का विस्तार करूंगा एवं पार्क में अतिरिक्त सुविधाओं/सेवाओं/आमोदों/राइड्स में बढ़ोत्तरी करूँगा तो इस तथ्य से तत्काल जिला मजिस्ट्रेट महोदय को अवगत कराऊँगा तथा पार्क में लगायी गयी अतिरिक्त सुविधाओं का प्रतिमाह टिकट दर के संबंध में तत्काल सूचित करूँगा।
3. भविष्य में यदि कहीं किसी अन्य मनोरंजन/वाटर पार्क को कय करूँगा अथवा उसका संचालन करूँगा तो इस तथ्य से जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल अवगत कराऊँगा।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किसी तथ्य के गलत पाये जाने पर या किसी छिपाये गये तथ्य के प्रकट होने पर या शासनादेश दिनांक 30 अगस्त,2012 के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर, जिला मजिस्ट्रेट महोदय को यह अधिकार होगा कि वह मेरे द्वारा अपनाये गये एक मुश्त समाधान योजना के आदेश को तद्नुसार संशोधित आदेश जारी कर सकते हैं तथा इस संशोधित आदेश के अनुसार मनोरंजन कर की वसूली, नियमानुसार देय ब्याज सहित, कर सकते हैं।

दिनांकः
स्थानः

प्रारूप–2

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,.......................।
(मनोरंजन कर अनुभाग)

संख्या /म0क0/ दिनांकः–

–आदेश–

शासनादेश संख्या– 901/11–6–2012–एम(22)/11 दिनांक 30 अगस्त,12 द्वारा लागू मनोरंजन/वाटर पार्क पर वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कराधान संबंधी एक मुश्त समाधान योजना अपनाने हेतु **श्री**.. **स्वामी/संचालक**...**मनोरंजन/वाटर पार्क, स्थान**...**जनपद**.., द्वारा **प्रार्थना–पत्र दिनांक**....................प्रस्तुत किया गया है। मनोरंजन/वाटर पार्क संचालक द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत की गयी हैं:–

कम सं0	**विवरण**	**धनराशि (रू0)**
1	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु देय मनोरजन कर की सकल धनराशि	
2	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु औसत मासिक मनोरंजन कर की धनराशि	
	वित्तीय वर्ष 2011–12 के औसत मासिक मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत	
	वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रत्येक माह में देय मासिक मनोरंजन कर	
	वित्तीय वर्ष 2012–13 में देय कुल मनोरंजन कर	

मनोरंजन/वाटर पार्क के स्वामी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना–पत्र का परीक्षणोपरान्त वित्तीय वर्ष 2012–13 के **प्रत्येक माह हेतु** सम्मत मनोरंजन कर **रू0**..तथा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मनोरंजन कर **रू0**.........................**(शब्दों में रूपया**...**मात्र)** निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्धारित किया जाता है:–

1. समाधान योजना अपनाये जाने पर वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रत्येक माह हेतु उक्त के अनुसार ही मनोरंजन कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
2. समाधान योजना अपनाए जाने पर वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवधि में अपने उपभोक्ता से अधिकतम वही मासिक शुल्क वसूल करेंगे, जो मनोरंजन/वाटर पार्क द्वारा वर्ष 2011–12 के विभिन्न मनोरंजन/वाटर पार्क के लिए उपभोक्ताओं से वसूल किया जा रहा था तथा जो स्वामी/संचालक द्वारा प्रारूप–1 में प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र दिनांक......................... में घोषित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी।
3. यदि मनोरंजन/वाटर पार्क के स्वामी द्वारा किसी अन्य मनोरंजन/वाटर पार्क कय किया जाता है, तो ऐसे कय किये गये मनोरंजन/वाटर पार्क के लिए अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त धनराशि वही होगी, जो विकेता मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी पर कर–सम्मत हेतु निर्धारित है, यदि कय किये गये मनोरंजन/वाटर पार्क के स्वामी ने समाधान(सम्मत कर) का विकल्प चुन रखा है, अन्यथा 25 प्रतिशत की दर से सामान्य कर देय होगा।
4. मनोरंजन/वाटर पार्क के स्वामी द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधाओं/सेवाओं/आमोदों एवं राइड्स में बढ़ोत्तरी की जाती है तो उस बढ़ोत्तरी के लिए नियमानुसार 25 प्रतिशत अतिरिक्त मनोरंजन कर देय होगा।
5. मनोरंजन/वाटर पार्क स्वामी द्वारा यदि समाधान योजना का विकल्प लेने का प्रार्थना पत्र दिया है एवं उसके प्रार्थना पत्र को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो इस प्रकार अपनायी गयी समाधान योजना को वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस आदेश के जारी होने के पूर्व जो धनराशि जमा की गयी है, उसे समायोजित करने के पश्चात जमा करने हेतु अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के शेष माहों में समान किश्तों में राजकोष में जमा किया जायेगा, अन्यथा नियमानुसार देय ब्याज सहित उक्त धनराशि की वसूली करने के साथ–साथ अन्य सुसंगत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि वित्तीय वर्ष 2011–12 या उसके किसी भाग हेतु निर्धारित मनोरंजन कर के विरूद्ध किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष/न्यायालय में कोई प्रत्यावेदन/अपील/याचिका लम्बित है, तो यह आदेश लम्बित प्रत्यावेदन/अपील/याचिका में पारित अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट,
.............................।

पृष्ठांकन संख्याः ()/म0क0/2012–13 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपिः 1. श्री ....स्वामी/संचालक...मेसर्स मनोरंजन/वाटर पार्क. ....जनपद..............................को अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. श्री..मनोरंजन कर निरीक्षक,...को उपरोक्त आदेश का सम्यक अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

उप/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/
जिला मनोरंजन कर अधिकारी/